



शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1978-79

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवरणिका

अध्ययन विषय	पृष्ठ
रिपोर्ट नी प्रमोक्षा	1- 7
समालोचना	8
1. अमान्य सार	9-13
2. शिक्षा भिन्न का प्रशासन एवं संगठन	14-17
3. व्यालयशिक्षा	18-25
4. हाविद्यालय शिक्षा	26-28
5. क्षिक्षक प्रशिक्षण	29-31
6. शौपनात्क शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा	32-34
7. महाला शिक्षा	35-38
8. शिक्षा सुधार कार्यक्रम	39-41
9. छाँौं के निए ज्ञाववृत्तियां तथा अन्य विस्तीय सहायता	42-45
10. फिल्म	46-51

Sab. M. J. + A. Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurobindo Marg,New Delhi-110011
DOC. No.....
Date.....

"शिक्षा विभाग, हरियाणा को वर्ष 1978-79 को प्रशासकीय रिपोर्ट की समीक्षा"

वर्ष 1978-79 में शिक्षा विभाग पिछले वर्षों की भाँति राज्य में शिक्षा के विकास कार्य सामान्य रूप से कार्य करता रहा है। शिक्षा के विकास में राज्यीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने भी श्री श्री ६ विकास में आवश्यक योगदान दिया है। राज्य में दो सम्बद्ध विश्वविद्यालय, हुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महाविद्यालय द्वारा द्वयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक है। शिक्षा विभाग सामान्यतः शिक्षा के विभिन्न सर्वों से संबंधित विकास योजाएं बनाते उनसे संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने तथा उनके उचित समर्थन का कार्य करना है।

इस अधिकारी में राज्य गे शिक्षा के क्षेत्र में भल्लालजनक प्रगति हुई। शिक्षा विभाग को समूलत करने संबंधित कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया गया। इस विभाग की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(क) शिक्षा का विकास, योवनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ वायोलंगों के अभिकारियों की सहायता से कार्यान्वयन करना।

(ख) भिन्न-भिन्न वर्गों के शिक्षकों को आवश्यकतानुगार उपलब्ध करने के निये भिन्न-भिन्न स्तर के अन्यायक प्रशिक्षण की सुविधाओं वा प्रबन्ध करना।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकोप विद्यालयों/महाविद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात अनुदान की राशि स्वीकृत करना।

(घ) मुगाव एवं योग्य विद्यारियों एवं अनपूर्जित जातियों/आळूड़े वर्ग के लोकों को लालवन्तियां, भर्जीकों एवं फीमों की प्राप्तपूर्ति करना।

(ङ) पाठ्य-पुस्तके तथा अध्याय पुस्तिकार्यों का उपलब्ध करना।

(च) अन्य कार्यक्रम।

(क) शिक्षा को विकास योजना का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना ।

(1) बजट :—रिपोर्टधीन अवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संशोधित अनुमान) 4582.09 लाख रुपये था जिसमें अन्तर्राज्यीय पर 3816.48 लाख रुपये और योजना स्तर पर 765.61 लाख रुपये था ।

(2) स्कूलों का खोलना और स्तर बढ़ाना :—इस अवधि में सरकार ने 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया ।

(3) छात्र संख्या :—स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या वर्ष 1978-79 में 17.45 लाख (लड़के 12.19 लाख और लड़कियां 5.26 लाख) थी । इनमें प्राईमरी स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11.73 लाख थी । माध्यमिक स्तर पर 4.35 लाख तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1.38 लाख रही । पिछले वर्ष की अपेक्षा रिपोर्टधीन वर्ष में स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है । उच्च शिक्षा स्तर पर 81288 छात्रों ने राज्य की भिन्न-भिन्न उच्च शिक्षण की संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की ।

(4) अध्यापक :—शिक्षा के विकास के साथ साथ भिन्न-भिन्न संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । रिपोर्टधीन अवधि में भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में 30-9-78 को 53738 अध्यापक थे । उच्च शिक्षा संस्थाओं में (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) शिक्षकों की संख्या 3414थी । पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षकों की संख्या विशेषता स्कूल स्तर की संस्थाओं में बढ़ी है ।

(5) प्राथमिक शिक्षा का विकास :—राज्य में 6-11 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के लिये विशेष पा उठाये गये । जिनमें प्राथमिक स्तरीय ड्राप-आउट्स के लिये रिपोर्टधीन अवधि में 2368 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 49174 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देकर साक्षर बनाया गया ।

(6) उच्च शिक्षा का विकास :—इस अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 रही जिनमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा थे। राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों की संख्या केवल 11 थी। रिपोर्टधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालय करनाल में बी ००५००० भाग-II (गान मैडीकल) की कक्षाएं आरम्भ की गई।

इं १९७८-७९ में राज्य में 81288 छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की जिनमें 16832 राजकीय महाविद्यालयों, 60408 ने अराजकीय महाविद्यालयों तथा 4048 ने विश्वविद्यालयों के टीचिंग विभागों द्वारा प्राप्त की।

(7) भवनों की मुरम्मत/निर्माण :—रिपोर्टधीन अवधि में करनाल, बाजादुगढ़, बिसार तथा महेन्द्रगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्यक्रमों पर 19 57 लाख रुपये सरकार द्वारा खर्च किये गये।

स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये 123 राजकीय विद्यालयों भवनों की मुरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 25.50 लाख रुपये को राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मुरम्मत के लिए 50 विकास खण्डों तथा पंचायत समितियों को दी गई।

(8) प्रौढ़ शिक्षा :—15-25 वर्ष के युवकों एवं युवतियों को शिक्षा देने का कार्यक्रम 4 जिलों में भिवानी, कुक्कोन, जीन्द एवं महेन्द्रगढ़ में चलाया गया। इस स्तरीय के अन्तर्गत 400 केन्द्र खोले गये और इन केन्द्रों में 8600 प्रौढ़ों ने शिक्षा का लाभ प्राप्त किया। इस स्तरीय पर खर्च भारत तथा राज्य सरकार 50:50 के आधार पर करती है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 851 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 19333 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया। इन केन्द्रों में में 398 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र असूचित जातियों के लिये खोले गये थे। साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों में से फूटों की संख्या 5565 तथा स्त्रियों की संख्या 2781 है।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप में चलाने के लिए निम्नलिखित पद सूचित किए गए ।

(1) संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	1
(2) उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	1
(3) सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	2

उपरोक्त के अतिरिक्त रिसोर्स केन्द्र की स्थापना के लिए एकमात्र पद निदेशक रिसोर्स केन्द्र का तथा 5 पव अनुसंधान अधिकारियों के लिये भी रिपोर्टार्डीन विभाग में सूचित किये गये ।

जिता स्तर पर जिता प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के पद (एक पद प्रति जिला) सूचित किये गये ।

(ख) विभिन्न-विभिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करने के लिये विभिन्न-विभिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना :—

रिपोर्टार्डीन वर्ग के डिपलोमा-एम-एजेंसेज की कक्षाओं में दाखिला सरकार द्वारा गिरफ्त वर्ष की भान्ति बनव रहा । वर्षोंका प्राईगरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिये पहले ही काफी संख्या में अध्यापक बेरोजगार थे । रिपोर्टार्डीन अवधि में हिंदी तथा संस्कृत और ० टी० की कक्षाएं राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिन्नती में खड़ी गई । इसके अतिरिक्त और ० टी० पंजाबी की कक्षा रा० जे० बी० टी० स्कूल, नारगण-गढ़ में आरम्भ की गई ताकि आवश्यकता अनुसार इन विषयों के अध्यापक विशाय को उपलब्ध हो सके । अध्यापकों की व्यवसायिक वक्षता को बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर का उन्नत करने के लिये रिपोर्टार्डीन अवधि में 4100 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 मैकेण्डरी अध्यापकों की भिन्न -2 विषयों में गवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया । प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिये जै० बी० टी० अध्यापकों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया ।

(ग) विश्वविद्यालयों, राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पावता परिवर्तने के पश्चात अनुदान की राशि इकूल करना :—

रिपोर्टधीन अवधि में विश्वविद्यालयों, अग्रजकीय महाविद्यालयों, विद्यालयों में शिक्षा के कार्य को सुचाहर रूप से चलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिये नियन्त्रित अनुदान (विकास एवं संरक्षण अनुदान) दिये गये -

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	154.06	लाख रुपये
महाराष्ट्र विद्यानन्द विश्वविद्यालय, रोहनक	150.00	लाख रुपये
प्रराजकीय महाविद्यालय	133.45	लाख रुपये
प्रराजकीय विद्यालय	21.85	लाख रुपये

इस वर्ष अराजकीय महाविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान की भावा उनके धाटे के 45 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत कर दी गई है। इससे राज्य सरकार को 34.14 लाख रुपये की राशि मैनेन्म ग्रांट के रूप में अधिक देनी पड़ी है। अराजकीय विद्यालयों को उपरोक्त दिये गये 21.85 लाख रुपये के अनुदान की राशि के अतिरिक्त इन स्कूलों के उनके धाटे के $31\frac{1}{4}$ प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की राशि भी दी गई।

रिपोर्टधीन अवधि में कोठरी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 43.85 लाख रुपये की राशि संशोधित बेतनमानों के रूप में हज अग्रजकीय विद्यालयों को दी गई।

(घ) सुपाद एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को लात्रवृत्तियां, दण्डीणे एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना :-

रिपोर्टधीन अवधि में विद्यालय/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार की लात्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गई हैं:-

(1) भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 109.1 योग्य छात्रों को 11.38 लाख रुपये की राशि विभिन्न की गई।

(2) 599 योग्य हरियाणवी छात्रों को मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने वाले के लिये 3.64 लाख रुपये की लात्रवृत्तियां राज्य सरकार द्वारा दी गई।

(3) सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 613 छात्रों को 15.40 लाख रुपये की छात्रवृत्तियाँ दी गई ।

(4) भारत सरकार की राष्ट्रीय क्रृषि छावनी योजना के अन्तर्गत 342 छात्रों को 2.41 लाख की क्रृषि छात्रवृत्तियाँ दी गई ।

(5) उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 688 छात्रों को 15/- रुपये मासिक की दर से तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 1014 छात्रों को 10/-रुपये मासिक दर से योग्यता छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था भी की गई ।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत राज्य हरिगंग कल्याण याजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर अनमूचित जातियों तथा पिलड़े वर्ग के बच्चों को नौवी, बराबी तथा ग्याहरवीं कक्षा में 8/- रुपये प्रतिमास की दर से वज्रीफ़े/छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई महाविद्यालय स्तर पर पिलड़े वर्ग के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोसी में 15/- रुपये 20/- रुपये तथा 25/- रुपये की दर से वज्रीफ़े दिये गये । इन वज्रीफ़ों के लिये 40.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में अनमूचित जातियों के छात्रों को भिन-भिन्न कक्षाओं/कोसी के लिये 40/- रुपये की दर से 195 रुपये की दर तक प्रति मास तरीं हे इत्यादि भी दिये गये । यह वज्रीफ़े/छात्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर दी जाती है । गिरोटीधीन भवानी में 64.49 लाख रुपये की व्यवस्था की गई और लगभग 4600 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ ।

अस्वच्छ व्यवस्था में लगे गैर अनमूचित जातियों के प्रत्येक छात्र को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति दी गई ।

संकृत/तेन्गृ भाषा पढ़ने वाले योग्य छात्रों को ग्राताहन तक हेतु 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई ।

(अ) पाठ्य पुस्तकों तथा अध्यापक पुस्तिकालों का उपलब्ध करना :—

पिलड़े वर्ग की माति गिरोटीधीन अवधि में विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक तथा अध्यापक पुस्तिकालों का उचित मूल्य पर उपलब्ध करने हेतु विशेष पाय उकाये गये । वर्ष 1978-79 में अनमूचित जातिया तथा वोका वर्ग

के विद्यार्थियों को ऋण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करने हेतु सरकार ने 9.29 लाख रुपये की राशि की अन्तर्गत स्थापित बृक्ष-बैंकम को सदृश करने के लिये खरीदी गई ।

अन्य कार्यक्रम :-

फोड़िग प्रोग्राम

भृष्टान्ह भोजन का नाम रिपोर्टीन अवधि में 4 22 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया जबकि पिछले वर्ष केवल 2 80 लाख बच्चों को प्राप्त हुआ था । इस कार्यक्रम पर शिक्षा विभाग ने 26.30 लाख रुपये की राशि कोयर संगठन के प्राप्तिसकी। तथा परिवहन खंचे के रूप में दी । घरोड़ा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा 40,000 बच्चों के लिये प्रतिदिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिये भेजी गई ।

(2) अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष :-

रिपोर्टीन अवधि में विपद्धाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को भिन्न भिन्न प्रकार की महायता के रूप में इस कोष में 3.83 लाख रुपये की राशि वितरीत की गई ।

(3) खेलकूद एवं क्रियात्मक कार्यक्रमों में उपलब्धियाँ :-

अन्तर राजकीय शीतकालीन प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं ने कुशली में एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक तथा ३ कांसीय पदक प्राप्त किये । स्वर्ण पदक जैविल थों में तथा एक स्वर्ण पदक पाल बोल्ट में भी प्राप्त किया । पोल बोल्ट में एक रजत पदक भी फ्रांस द्वारा प्राप्त किया गया ।

(4) एन.एस.एस. स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त जनता के उन्धान हेतु 123 शिविर लगाये गये जिनमें 6000 लोगों ने भाग लिया ।

रिपोर्टीन वर्ष में कनेन राय सिंह नाथ, उनके पश्चात् श्री हीरा नन्द आद्य, शिक्षा मन्त्री के पद पर गये । शिक्षावृक्ष एवं मनिव के पद पर कुमारी मीरा सेठ, श्री कुलावंत मिह, श्री जी. वी. गुप्ता तथा उनके पश्चान् श्री जे. वी. गुप्ता, आई. प.एस. रहे । श्री ओ. पी. भारद्वाज, आई. प.एस. न रिपोर्टीन अवधि में निदेशक शिक्षा विभाग का रायभार गम्भाले रखा ।

प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79 पर समालोचना

रिपोर्टींग अवधि में राज्य के शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्राईमरी, मिडिल तथा उच्च/उच्चतर स्तर पर छात्रों की संख्या में उन्नाह-जनक तृदि हुई है। शिक्षा की सुविधाओं में और विस्तार करने के लिये 71 प्राईमरी स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया है। माध्यान्ह भोजन का लाभ जो पहले 2.80 लाख बच्चों को प्राप्त था, उसका विस्तार कर अब उसका लाभ 4.22 लाख प्राईमरी कक्षाओं के बच्चों को किया गया है।

शिक्षा के स्तर को गमनन करने के लिये शिक्षा विभाग ने गुणात्मक गुधार योजनाओं पर विशेष बल दिया। वर्ष के दौरान 4100 प्राथमिक अध्यापकों तथा 1200 माध्यात्मक अध्यापकों को मिल भिन्न विषयों को सचारू करने में पड़ाने के लिये सेवाकालीन प्राप्तिकाल दिया गया।

स्कूल भवनों की मुरम्मत पर 25.50 लाख रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) हारियाणा द्वारा व्यय की गई। इसके अन्तर्वर्त 2.50 लाख रुपये की राशि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय बार्थार्थिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक गुरुमत के लिये 50 विकास खण्ड/चायत समितियों को दी गई।

गनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। खेतों के क्षेत्र में भी अन्तर राजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छान्त्राओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में तीन स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 3 कास्ट के पदक प्राप्त किए गए।

प्राणाय १

“सामान्य सार”

१. १. प्रमुख शिक्षा विभाग की प्रणालीकीर्ति वर्ष १९७८-७९ ही शिक्षा की गतिविधियों से संबंधित है।

१. २. सितम्बर १९७८ में हरियाणा में स्थित भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की गंद्या तथा शिक्षा संस्थाओं से पहने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही—

संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़
१	२	३	४	५
प्राथमिक पाठ्यालाएं	५,३८४	४,७३,१८०	२,०६,६५८	६,७९,८३८-
माध्यमिक पाठ्यालाएं	८०१	२,०९,४९९	८९,८०८	२,९९,३०७
उच्च/उच्चनकर माध्यमिक				
पाठ्यालाएं	१,२०१	५,३८,२०४	२,३२,६०७	७,७०,८११
शारीरिक शिक्षा				
महाराजालय	१	६६	६	७२
महाराजालय	११८	५३,०७५	२४,१६५	७७,२४०
विद्यविज्ञालय	२	३,०१७	१,०३१	४,०४८

स्तर अनुसार छात्र संख्या :-

1.3 गण्य में मितम्बर 1978 में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही थी ।

शिक्षा का स्तर	छात्रों की संख्या		
	वड़के	लड़कियाँ	जोड़
स्कूल स्तर			
प्राथमिक स्तर (पहली से आंचली कक्षाएं)	7,87,565	3,85,459	11,73,024
माध्यमिक स्तर (छठी से आंठवीं कक्षा)	3,27,030	1,07,875	4,43,905
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (नौवीं से ग्याहरवीं कक्षाएं)	1,04,607	33,066	1,37,663
कुल संख्या	12,19,202	5,26,390	17,45,592

उच्च शिक्षा स्तर :--

प्री-यूनीवर्सिटी	15,919	5,111	21,030
तीन वर्षीय डिप्री कोर्स	33,257	13,477	46,734
पी.एच.डी तथा एम.ए कक्षाएं	2,764	1,528	1,282
बी.एड./एम.एड.	1,352	2,430	3,782
ग्रन्थ कोर्सिज	2,800	2,650	5,450
योग	56,892	25,196	81,288

शिक्षकों की संख्या :-

1. 4. हारियाणा राज्य में कार्य करते वाले शिक्षकों की कुल संख्या स्तर अनुमान इस प्रकार रही :-

(क) स्कूल स्तर पर :-

	पुरुष	महिलाएँ	कुल अध्यापक
प्राईमरी स्तर	19,702	10,466	30,168
माध्यमिक स्तर	9,946	3,687	13,633
उच्च/उच्चार स्तर	7,542	2,395	9,937
योग	37,190	16,548	53,738

इन अध्यापकों में मे 1957 अव्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं।

(ख) उच्च शिक्षा स्तर पर :-

	पुरुष	महिलाएँ	कुल
राजकीय महाविद्यालय	630	198	828
अराजकीय महाविद्यालय	1,660	624	2,284
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	1	1	2
विश्वविद्यालय	265	31	296
योग	2,556	854	3,414

शिक्षा पर व्यय

1. 5. शिक्षा विभाग का वर्ष 1978-79 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :

मद	आजनससर	(राशि लाखों में)	
		योजना	कुल
1. उच्च शिक्षा (कालिज शिक्षा)	378.61	305.40	684.01
2. माध्यमिक शिक्षा	1,738.75	127.71	1,866.46
3. प्राथमिक शिक्षा	1,504.69	249.76	1,754.45
4. विशेष शिक्षा (संपैशल)	3.82	37.68	41.50
5. एन. सी. सी.	491.68	23.54	73.22
6. विविध	16.15	—	16.5
जोड़	3691.70	744.09	4435.79

(ब) परोक्ष व्यय :

1. निर्देशन	35.93	3.00	38.93
2. इमरीक्षण	88.85	18.52	107.37
जोड़	124.78	21.52	146.30
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परेक्ष	3816.48	765.61	1582.09

महाविद्यालय शिक्षा :-

1. 6. इस वर्ष कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। नैण्टल कालिज सिरसा का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा आपने सियंक्षण में लिया गया है।

महाराष्ट्रातील शिक्षा :-

1.7. राज्य के सभी 11 जिलों में शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जो अपने-आगे जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वयन करते हैं।

भाषाई प्रलापणयों की संविधाएँ :-

1.8. हरियाणा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य मरवार द्वारा अपनी भाषा को अन्तरिक्ष विषय के रूप में मुद्रित जारी रखी गई। यदि किसी वक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी वह भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हों तो उनके लिये उस भाषा को पढ़ने का प्रबन्ध किया जाता है।

नपे स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का स्तर बढ़ाना :-

1.9. इस अवधि में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पंचकूला में खोला गया। इसके अन्तरिक्ष 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तरको बढ़ाकर मिडल तथा 40 मिडल स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया।

छात्र कल्याण कार्यक्रम :-

1.10. गत वर्ष की भाँति इस वर्ष में भी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तु। उपलब्ध करने के लिये राज्य के महाविद्यालयों/विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावासों को निकट के सहकारी आपभोक्ता स्टोरों से गमनान्ध रखा गया ताकि उनको बिना कठिनाई सभी वस्तुएं उपलब्ध होनी रहे।

छात्रों को पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध कराना :-

वर्ष 1978-79 मा अनुमति जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 7043 बुक बैंकों को सुवृद्ध करने के लिये 9.50/- लाख रुपये की राशि स्वीकृत नी गई जिसमें से 9.29 लाख रुपये की राशि वर्त्ते हुई।

अध्याय 2

“शिक्षा विभाग का प्रसादन एवं संगठन”

वर्ष 1978-79 में कुछ समय के लिये कर्नल राम सिंह तथा इसके पश्चात श्री हीरा नव आर्या, शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे।

(क) संचालन :-

रिपोर्टधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर कुमारी हीरा सेठ, श्री कुलबन्द बिंदु, श्री जी. वी. गुप्ता तथा श्री जे. डी. गुप्ता रहे। उप सचिव के पद पर श्री श्री एस. के जैन ने कार्य किया। उग्रोवत् सभी अधिकारी आई.ए.एस. काडर के हैं। अवर सचिव के पद पर श्री ओ.पी.जैन तथा रामप्रभाद एच.एस.एम. ने कार्य किया।

(ख) निदेशालय स्तर :—

रिपोर्टधीन वर्ष में श्री ओ.पी.भारद्वाज, आई.ए.एस. ने निदेशक शिक्षा के पद पर कार्य किया।

पिछले कुछ वर्षोंमें शिक्षा में विशेष विकास हुआ जिसके कारण हर स्तर पर शिक्षा की प्रशस्तीय सुविधा का घासन में रखते हुए निदेशालय के स्कूल तथा कालिज शिक्षा के कार्य को फेमड प्रोग्राम में अन्वय-अलग करने का निण्य निया गया जिसके अन्यार्थ गंधुका निदेशक प्रशासन के पद का अपग्रेड करके 10-2-78 से अनिवार्य निदेशक का पद बना दिया गया और इस पद पर श्री क.सी. शर्मा नियुक्त रहे। इस प्रकार निदेशालय स्तर पर निम्नालिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सूचारू रूप में नियमन के लिये निदेशक शिक्षा विभाग को सहयोग दिया।

संयुक्त निदेशक (महाविद्यालय), एच.ई.एस.

संयुक्त निदेशक (शिक्षा) एच.एस.सी.० प्रस.)

उप निदेशक महाविद्यालय, एच० ई० एस०

उप निदेशक विद्यालय, एच० ई० एस०

उप निदेशक योजना, एच० ई० एस०

आध्यात्म, अनोपनार्थिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, एच० ई० एस०

प्रशासन अधिकार, एच० सी० एस०

सहायक निदेशक (परीक्षा), एच० ई० एस०

सहायक निदेशक (आंकड़ा), एच० ई० एस०

सहायक निदेशक (निर्माण), एच० ई० एस०

सहायक निदेशक (सांत्रिकी), एच० ई० एस०

सहायक निदेशक (पुस्तक) एच० ई० एस०

सहायक निदेशक (अध्यापक प्रशिक्षण) एच० ई० एस०

सहायक निदेशक (अध्यापक स्थाना), एच० ई० एस०

सहायक निदेशक (स्कूल), एच० ई० एस०

लेखा अधिकारी-1

लेखा अधिकारी-2

रजिस्ट्रार शिक्षा

ब्रेट अधिकारी

जिला प्रशासन :-

2.2. राज्य के प्रत्येक जिले के स्कूल शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदातव्य जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने

जिनेमें शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्रवा देते हैं। जिनेमें शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी उप-मंडलोंमें उप-मिडल शिक्षा अधिकारी है। उप मंडल शिक्षा अधिकारी अपने उप मंडलमें शिक्षा के विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारियोंके प्रति उत्तरदायी है।

प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियोंको अनुसार भावित व्यवसाय ग्राहि के सूझाव में सहायता देने के लिये जिला स्तर पर एक-एक महायक मार्गदर्शन परामर्शदाता की नियुक्ति की हई है। यह अधिकारी विद्यार्थियोंमें जाकर विद्यार्थियोंको भिन्न भिन्न व्यवसायोंके बारे में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी आनंदी हावयोंके अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थी को भिन्न भिन्न व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाएं के बारे में भी काम दिया जाता है।

31-379 की स्थिति अनुसार निर्देशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियोंका व्यीरा परिशिष्ट "क" तथा "ख"में दिया गया है। श्रेणी प्रशम तथा द्वितीय के कुल गदोंकी सूचि परिशिष्ट "ग"में दी गई है।

खण्ड स्तर पर :-

2.3. राज्य में स्थित गभी 538। प्राथमिक विद्यालयोंको निरीक्षण तथा प्रशासन भूविद्या के लिये 117 शिक्षा खण्डोंमें बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्डमें प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयोंको सुचारू रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी है।

राजकीय विद्यालय :--

2.4. सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालयोंका प्रशासनिक प्रबन्ध पृष्ठ ग्राम्यापकों तथा प्रधानाकार्योंके माध्यम से चलाया जाता है। सभी मध्यम्यापक तथा प्रधानाकार्यों अपने-आने विद्यालयोंमें विद्यार्थीयोंको मनारु रूप से शिक्षा देने तथा उमके शैक्षणिक मानसिक और शारीरिक विकास के लिये जिता शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

आराजकीय विद्यालय :—

2.5. आराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी स्थानीय प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग में मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको मुचारु रूप से चलाने के लिये वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निराकरण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय :—

2.6. राजकीय महाविद्यालयों के प्रचारी प्रत्यक्ष रूप में सुचारु रूप से प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिये निदेशक शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। परन्तु और सरकारी महाविद्यालयों का प्रसासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको वित्तीय सहायता साधारण तथा विकास अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष देती है।

अध्याय 3

“विद्यालय शिक्षा”

3. १ शिक्षा के हांसी में विद्यालय शिक्षा सरसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तथा इसका सरसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होना भी चाहिए क्योंकि बच्चा सबसे पहले स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण करना आरम्भ करना है। अतः इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने विद्यालय शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है।

3. 2. इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को गिर्लस्क शिक्षा दी जाती है। ६ से ११ वर्ष की आयु के अधिक में अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने के लिये प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संघ्या अभियान चलाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये समाज कल्याण विभाग वारा वर्ष 1976-77 से प्रति वर्ष एक लाख रुपया दिया जाता है जिसके द्वारा कमज़ोर वर्ग की पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति वर्ष 15/- रु० की नीति की वर्दी प्रत्येक छात्र को दी जाती है। जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 6660 लड़कियों को लाभान्वित किया जाता है।

शिक्षा संविधानों का विस्तार :—

3. 3. रिपोर्टीरीन वर्ष में शिक्षा संविधानों में उल्लेखनीय निस्तार हुआ है। वर्ष 1978-79 में 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया। इनमें से 8 लड़कियों के शिड्जन स्कूल तथा 9 मिडल स्कूलों (लड़कियों के) का तज़ी बढ़ा कर उच्च किया गया।

1-८-७८ को हरियाणा में गैर-सरकारी तथा सरकारी विद्यालयों की संख्या

निम्नलिखित थी :—

क्रम संख्या	सरकारी	गैर-सरकारी	जोड़
1	2	3	4
1. पूर्व प्राथमिक विद्यालय	6	1	7
2. प्राथमिक विद्यालय	5296	88	5384
3. माध्यमिक विद्यालय	775	26	801
4. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	966	235	1201

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई गई है। जिसके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगधरी ।
2. सरस्वती हाई स्कूल, पलवल
3. सैट क्रियासंबीयन हाई स्कूल, गुडगांव

बालवाड़ियों की स्थपना :—

3.4. समाज के पिछड़े एवं आद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिये शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये राज्य में पिछले वर्ष 10 बालवाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। इन बालवाड़ियों के अतिरिक्त राज्य के कुछ भराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक सभा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ नसरी तथा प्री-प्राइमरी श्रेणियाँ भी संलग्न हैं। इन श्रेणियों में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आन्त संख्या :—

3.5. वर्ष 1978-79 में स्कूलों में भिन्न भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्या-

शियों की संख्या इस प्रकार रही है :—

शिक्षा का स्तर	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्राथमिक स्तर	787565	385459	1173024
माध्यमिक स्तर	327030	107875	434905
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	104607	33056	137663

रिपोर्टरीन अवधि में छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा प्राथमिक स्तर पर 27 हजार, माध्यमिक स्तर पर 28 हजार तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 34 हजार की वृद्धि हुई ।

अध्यापक :-

3. 6. वर्ष 1978-79 में जिन मूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिये निम्न-लिखित अमला भी स्वीकृत किया गया —

मुख्याध्यापक	40
मास्टर	151
पी. टी. आई.	40
लिपिक	40
चतुर्थ श्रेणी	151

वर्ष 1978-79 में हरियाणा राज्य के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या

इस प्रकार रही —

शिक्षा का स्तर	पुरुष	महिलाएं	जोड़
प्री-प्राईमरी स्तर	17	62	79
प्राथमिक स्तर	19702	10466	30168
माध्यमिक स्तर	9946	3687	13633
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	7542	2395	9937
जोड़	37203	16610	53817

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। राज्य में केवल 698 अध्यापक (में से हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। उपरोक्त अध्यापकों में से 48781 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात :-

3.7. रिपोर्टधीन अवधि में स्कूल के भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा —

स्कूल अनुसार	स्तर अनुसार		
प्राथमिक स्कूल (1-5)	1:10	प्राथमिक स्तर (1-5)	1:39
माध्यमिक स्कूल (1-8)	1:33	माध्यमिक स्तर (6-8)	1:32
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (1-11)	1:28	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (9-11)	1:14

बोहरी पारी प्रणाली :-

3. 8. भिन्न-भिन्न विद्यालयों के भवनों में छातसंख्या की बढ़ि के कारण धन्नों के बैठने के लिये स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में बोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं समझे।

सहशिक्षा की नीति :-

3. 9. ऐसे ज्ञेत तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिये माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं, वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। 5141 प्रायगिक विद्यालयों में से 244 राजकीय और 16 अराजकीय प्रायमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिये हैं। शेष सभी विद्यालयों में सहशिक्षा है।

तेलगू भाषा की शिक्षा :—

3. 10. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा नीमरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। तेलगू भाषा पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 10/- रुपये प्रति मास की दर से छावनी दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस पर 37440/- रुपये की राशि ध्यय की गई।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक :—

3. 11. हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली बोली से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है।

3. 12. विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा पंजाबी, गंगाकृत तथा उर्दू के अंतर्गत राष्ट्रीय भावात्मक एकता लाने के लिये दक्षिण भारत की भाषा की शिक्षा की सुविधा भी 62 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और माठवी बोलियों

में पंजाबी, उर्दू और संस्कृत तथा नेलगू भाषाओं में मे विद्यार्थी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

3.13. हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी हरियाणा सरकार ने विशेष सुविधा दे रखी है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चों या स्कूल में 40 बच्चों से अधिक विद्यार्थी हों तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के आर्तरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने के लिये सुविधा प्रदान करती है। 19 अराजकीय विद्यालयों को, जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी थी, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिये सरकार ने विशेष अनुमति दे रखी है।

3.14. भाषा अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस संबंध में मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अन्य भाषाई समिति का गठन किया हुआ है।

शिक्षा पद्धति 10-2-3 को लागू करना :-

3.15. शिक्षा का नया गैंधारिक ढांचा अभी हरियाणा राज्य में लागू नहीं किया गया। इस ढांचे को लागू करने हेतु पिछले वर्ष माध्यमिक/उच्च उच्चतर/माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1977-78 में 60.30 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।

चतुर्थ अधिकारी भारतीय सर्वेक्षण :-

3.15(ए). 6.11. आयु वर्ग के सभी बच्चों को भविष्य गे अनिवार्य तथा निश्चल प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु आवश्यक गैंधारिक ग्रांकड़ों को एकवित करने के लिये शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों के अनुमार हरियाणा राज्य में भी 30-9-1978 के मिथ्यत अनुमार सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण पर होने वाला मारा खच्चा भारत सरकार द्वारा बहन किया गया। भारत सरकार को निर्धारित समय सारणी अनुसार 31 मार्च, 1979 तक

हरियाणा राज्य में सभी खण्ड टेबल तैयार कर लिये गये थे। तथा जिला स्तर पर की टैब्लेशन का कार्य आरम्भ कर दिया गया था।

परीक्षा परिणाम :-

3.16. आठवीं दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं के लिये राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष 1978-79 में आठवीं कक्षा में 124142 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जिनमें से 54.40 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 16016 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे जिनमें से 39.37 विद्यार्थी पास घोषित हुए।

3.17. दसवीं कक्षा की परीक्षा में 56815 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे जिनमें से 64.33 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 23852 विद्यार्थी प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 21.17 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परिणाम 47.29 पास प्रतिशत रहा।

अराजकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना :-

3.18. रिपोर्टीन अवधि में निम्नलिखित विद्यालयों तीन को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई :-

1. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगद्धारी

2. सरस्वती हाई स्कूल, पलवल

3. सेंट क्रिस्टीन हाई स्कूल, गुडगांव

अराजकीय विद्यालयों को अनुमान :-

3.19. पूर्व वर्षों की भाँति वर्ष 1978-79 में ही अराजकीय विद्यालयों को निम्नलिखित अनुमान अनुमान विद्या गया :-

प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय

1,18,42.6

उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

15,68,561.6

स्थानीय विकास/कैट बोड प्राइमरी	20,000
संरक्षित विद्यालय गुरुकृत	73,393
हरिया गा साकेत कौसिन, चण्डीमन्दिर	68,000
हरियाणा वैनफेर सोसाईटी फार डेफ पंड इम्प चण्डीगढ़ को गुडगांव केन्द्र के लिये	26,500
गांधीयन इंस्टीच्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी	10,000

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की उपकरणों के खरीदने के लिये 500/- ₹० प्रति स्कूल की दर से 5000/- ₹० की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया।

अराजकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 31½ प्रतिशत अनुदान भी दिया गया तथा अराजकीय/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे की 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई इसके अतिरिक्त रिपोर्टरीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 4,38,545/- ₹० की राशि स्वीकृत की गई।

अध्याय छौथा

“महाविद्यालय शिक्षा”

महाविद्यालयों की संख्या :—

4. 1. रिपोर्टधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 थी जिसमें 20 शिक्षा महाविद्यालयों और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य में प्रशासनिक प्रबन्ध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार रही है।

राज्य सरकार द्वारा	प्राइवेट वाडीज द्वारा	विश्वविद्यालय द्वारा	जोड़
14	101	3	118

गेर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लेना :—

4. 2. वर्ष 1978-79 में नेशनल कालिज, सिरसा को राज्य सरकार द्वारा ग्राने नियंत्रण में लिया गया।

राजकीय महाविद्यालयों में नये विषयों/कक्षाओं का चालू करना

4. 3. वर्ष 1978-79 में राजकीय महाविद्यालय करनाल में बी०एस०सी० भाग-11 (नान मैडिकल) की कक्षाएं आरम्भ की गईं।

अराजकीय महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान :—

4. 4. विश्वविद्यालय अनुदान आगोर की सिफारिशों के आधार पर राज्य के राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे प्राधार्यकार्यों/प्राचार्यों के 1-1-1973 के संशोधित वेतनमान के खंड के लिये वर्ष 1978-79 में 44,03 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

1-11-1966 से अराजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के संशोधित वेतन-ग्रान के खर्चे के लिये 15.81 लाख रुपये की राशि वर्ष 1978-79 से सरकार द्वारा स्वीकृत की गई।

4.6 इसके अनिरिक्त राज्य के अराजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1978-79 में 68.41 लाख रुपये की मेनटेंगस पांच तथा 5.20 लाख रुपये की विकास अनुदान वे रूपरूप राशि दी गई। इस बारे यह कहना है कि वर्ष 1978-79 में सरकार ने अराजकीय कालिजों को दी जाने वाली अनुदान की मात्रा उनके घाटे को 45 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर दी है। जिससे सरकार को 34.44 लाख रुपये अधिक खर्च करने पड़े।

4.7. विश्वविद्यालयों को दिन प्रति दिन के खर्चे हेतु तथा विकास कार्य के लिये वर्ष 1978-79 में 304.06 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई जिनका व्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

(क) कुक्षेत्र विश्वविद्यालय	154.06
(ख) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	150.00
जोड़	304.06

अराजकीय महाविद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति :—

4.8. सरकार ने अहीर कालिज रिवाड़ी तथा डी०ए०बी० कालिज तमगढ़ में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिये।

प्लानिंग फोरम :—

4.9 वर्ष 1978-79 में राज्य के 3 विश्वविद्यालयों, 14 राजकीय तथा 102 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये प्लानिंग फोरमज को आगे रखने के लिये 0.46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

राजकीय महाविद्यालयों के लिये भवनों/छावावासों का निर्माण :—

4.10. इस परियोजना के अन्तर्गत 1978-79 में व्यवस्थित 18.00 लाख रुपये की राशि के समक्ष 19.57 लाख रुपये के खर्च से करनाल, बहाबुरगढ़, हिसार तथा महेन्द्रगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्यक्रम चलाया गया।

छाव तंत्रज्ञान :—

4.11. ग्रियोरीटीन वर्ष में राज्य में 81288 छाव उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संस्थानमार छावों की संख्या इस प्रकार थी :—

संस्था का स्वर	छावों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. राजकीय महाविद्यालय	12921	3911	16832
2. अराजकीय महाविद्यालय	40154	20254	60408
3. विश्वविद्यालय	3017	1031	4048
जोड़	56092	25196	81288

प्रध्याय पांचवा

“शिक्षक प्रशिक्षण”

5.1. शिक्षा का स्तर अध्यापक के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापक का इन अनुसंधानों तथा प्रयोगों से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को व्यवसायिक वक्षता प्राप्त करने के लिये दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :—

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण।

2. सेवाकालीन प्रशिक्षण।

सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण :—

वर्ष 1978-79 में गिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिये राज्य में निम्नलिखित पाठ्य क्रमांक की सुविधाएं उपलब्ध थी।

एम 0 एड 0 कक्षाएँ :—

राज्य में एम 0 एड 0 की कक्षाएँ केवल राव वीरेन्द्र मिह शिक्षण महाविद्यालय रिवाड़ी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रही। दोनों संस्थाओं में वर्ष 1978-79 में 37 लड़के तथा 51 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

बी 0 एड 0 कक्षाएँ :—

वर्ष 1978-79 में बी 0 एड 0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएँ राज्य में 20 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रही। इसके अतिरिक्त वैश्व कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़ को भी 50 लड़कियों के लिये बी 0 एड 0 की कक्षाएँ चालू करने की अनुमति भी दी गई थी। इन सभी महाविद्यालयों में 1315 लड़कों तथा 2379 लड़कियों ने बी 0 एड 0 की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया।

डिल्लोमा एम-एजुकेशन कक्षाएँ :-

शक्षणिक वर्ष 78-79 में डिल्लोमा-इन-ऐजुकेशन तथा नरसी टीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण बन्द रहा, क्योंकि पहले ही काफी संख्या में प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापक बेरोजगार थे।

ओ० टी० प्रशिक्षण कक्षाएँ :-

टिरोटार्धीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी, संस्कृत तथा पंजाबी की ओ० टी० कक्षाएँ खोलने की अनुमति दी गई।

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. राजसीय शिक्षण महाविद्यालय, | हिन्दी तथा संस्कृत की 60-60 सीटें |
| 2. राजसीय जे० बी० टी० स्कूल, | ओ० टी० पंजाबी की 40 सीटें |
| तारायण गढ़ | |

सेवाकालीन प्रशिक्षण :-

गत वर्षों की भाँति वर्ष 1978-79 में भी प्रायमिक तथा स्नातक अध्यापकों के लिये कई सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इस वर्ष जो सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये, वे निम्न प्रकार हैं :—

प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण अवधि (दिनों में)	जितने अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया गया
1. शिक्षा अधिकारी	5	50
2. मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिकाएँ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राधानाचार्य	5	1000
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी	5	117
4. माध्यमिक अध्यापक	20	1200
5. प्राथमिक अध्यापक	16	4100

विस्तार सेवा विभाग :-

5. 2. विस्तार सेवा विभाग, गैहतक द्वारा भी नजदीक के अध्यापकों के लिए थोड़ी अवधि (थोर्ट टर्म कोर्स) के लिये कोर्स आयोजित किये जाते हैं।

राज्य विज्ञान संस्थान गुडगांव :-

5. 3. रिपोर्टरीन अवधि में राज्य विज्ञान संस्थान, गुडगांव प्राथमिक तथा सैकैण्डरी स्तर पर विज्ञान शिक्षा को विकसित करने तथा विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये काफी प्रयत्नशील रहा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक तथा सैकैण्डरी अध्यापकों के लिये विज्ञान विषय में विभिन्न प्रकार के कोर्सिज भी इस संस्थान द्वारा आयोजित किये गये।

युनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :-

5. 4. यह स्कीम वर्ष 1970-71 से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को समन्वय करने वाला। तथा विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने के लिये शरू की गई थी। वर्ष 78-79 में इस स्कीम के अन्तर्गत जे 0 बी 0 टी 0 अध्यापकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों/उप मंडल शिक्षा अधिकारियों को विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

प्राध्याय छठा

“अनौपचारि शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा”

6.1. जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। आज के आधुनिक युग में नित्य नो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं इसलिये इन नये वैज्ञानिक अविष्कारों और सामरिक घटना चक्रों के ज्ञान के लिये गमाज के आणक्षित वर्गों को शिक्षित करना आवश्यक हो गया है। अतः इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में प्रौढ़ों का शिक्षा के लिये मिष्ट-मिष्ट परियोजनाएं चल रही है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

कि 1. भास्तरता योजना :-

6.2. यह परियोजना वर्ष 1969-70 में केवल रोहतक जिले में आरम्भ की गई थी। वर्ष 1978-79 तक इस परियोजना को राज्य के 6 जिलों रोहतक, अस्सीना, करनाल, गुडगांव, हिसार तथा सिरमोहर में फैला दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 300 केन्द्र खोले जाने थे अर्थात् 1800 केन्द्र खोले जाने थे किन्तु वर्ष 1978-79 में 1605 केन्द्र खोले जा सके। इस परियोजना के अन्तर्गत 37804 प्रौढ़ों को भास्तरता प्रदान की गई। इस स्कीम का सारा खंड भारत सरकार द्वारा बहन किया जाता है।

15-35 आयु वर्ग के युवकों को अनौपचारिक शिक्षा :—

6.3. यह स्कीम भारत सरकार के साथ 50:50 के आधार पर 4 जिलों में चलाई जा रही है अर्थात् 4 जिलों में से 2 जिलों भिवानी तथा कुरुक्षेत्र का खंड भारत सरकार द्वारा शेष 2 जिलों जील तथा मंत्रद्वारा का खंड राज्य सरकार द्वारा बहन किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के युवक तथा युवितयों को साक्षरता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 100 केन्द्र खोले गये तथा इन केन्द्रों में 8600 प्रौढ़ों को शिक्षा का नाम पहुंचाया गया।

मोदाइल सोगन एजेंसीन स्कॉल

6.4. यह स्कॉल गजय के 2 जिलों जीन्द तथा पहेन्द्रगढ़ में बलाई जा रही है। इसके अधीन प्रत्येक स्कॉल में 29 केन्द्र होते हैं जिनमें से 16 केन्द्र माहिनाओं के तथा 13 केन्द्र पुरुषों के होते हैं। इसके अन्तर्गत प्रौढ़ों को समाज शिक्षा का जान करवाया जाता है तथा उन्हें साक्षरता प्रदान की जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :-

6.5. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1973-74 में आरम्भ किया गया था और वर्ष 1977-78 में राज्य के सभी ज़िलों में यह कार्यक्रम फैला दिया गया। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में 1100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का लक्ष्य था परन्तु 851 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ही खोले जा सके, जिनमें 19833 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया। इन 851 केन्द्रों में से 398 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अनुसूचित जातियों के लिये खोले गये थे जोकि 263 केन्द्र पुरुषों के लिये तथा 135 केन्द्र स्त्रियों के लिये थे। इन केन्द्रों द्वारा कुल 8346 अनपढ़ प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान की गई, जिनमें से पुरुषों की संख्या 5565 तथा स्त्रियों की संख्या 2781 है।

अनौपचारिक शिक्षा आयु वर्ग 6-14 में प्रयोग तथा अन्वेषण को प्रोत्साहन

6.6. यह योजनागत स्कॉल गजय में सभी जिलों में बलाई गई है तथा इसके अधीन राज्य में 2620 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा था किन्तु इसके अधीन केवल 2368 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ही खोले जा सके जिनमें 19174 बच्चों को साक्षर बनाया गया।

प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार :-

6.7. वर्ष 1978-79 में प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार किया गया, निदेशक शिक्षा इस कार्यक्रम के समस्त प्रभारी है, जिसके विस्तार के कारण प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को सुवाहु रूप से नलाने के लिये निदेशालय स्तर पर तथा जिला स्तर पर अधिकारियों के पद मृजत किये गये जो निम्न प्रकार है-

निवेशालय स्तर पर :-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. संयुक्त निवेशक (प्रौढ़ शिक्षा) | 1 |
| 2. उप निवेशक (प्रौढ़ शिक्षा) | 1 |
| 3. सहायक निवेशक (प्रौढ़ शिक्षा) | 2 |

एक राज्य सन्साधन केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें एक निवेशक, 5
अन्यसंघान अधिकारियों के पद सूचित किये गये हैं।

जिला स्तर पर :-

प्रत्येक जिले के लिये एक जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, 11क परियोजना
अधिकारी तथा एक सहायक परियोजना अधिकार का पद सूचित किया गया है।

प्रायोग सातवां

“महिला शिक्षा”

7.1. वर्तमान आधुनिक युग में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बगावर सफल हो रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ रही हैं। अतः महिला शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकार ने लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के लिये कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की हुई हैं। यह सुविधाएं रिपोर्टोरीन अवधि में भी जारी रही।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा ट्यूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्राहरवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है।

(ख) हरिजन कन्याओं को नौवीं, दसवीं तथा ग्राहरवीं कक्षाओं में क्रमशः 20, 25 और 30 रुपये की मासिक की दर से योग्यता छात्रवृत्तियां देने की भी अवस्था है। यह छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को ती जाती है। प्रत्येक कक्षा के लिये 50, 50 छात्रवृत्तियां हरिजन कन्याओं के लिये नूर वर्ष उपलब्ध की जाती है।

(ग) विधवाओं/पतियों में अलग रहने वाली/विवाह विछेद विद्याएं के लिये ज० बी० टी०/ज० टी० रु० रु०/नवीरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील देदी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलटरी पुरुषों की पर्सनियों या उनके आश्रितों को जो अव्यव्य हो गये हों या लड़ते लड़ते मारे गये हों, प्रवेश के लिये अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(घ) जिन स्थानों/गांवों में कन्याओं के लिये अलग स्कूल नहीं हैं वहां पर कन्याओं को लड़कों के स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने की भी अनुमति दी जानी है।

कन्या शिक्षा संस्थाओं की संख्या :-

संस्था का प्रकार	राजकीय	अग्रराजकीय	जोड़
प्राथमिक विद्यालय	261	10	271
माध्यमिक विद्यालय	71	6	77
उच्च विद्यालय	106	82	188
उच्चतर माध्यमिक	20	1	21
महाविद्यालय	1	26	26

गिएले कुछ बारों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विपरीत वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह रहा है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के लिये अलग स्कूल नहीं हैं वहां पर वे लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित गार्डों पर खाले जाते हैं।

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की भाँग हो।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल भवन के लिये प्रबन्ध करे।
3. यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिये उपलब्ध हो।
4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिये कोई और विद्यालय न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिये अनुग्रह प्रार्थिमिक छांच विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और आनंदिति स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप गजा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। रिपोर्टधीन अवधि में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 5.52 लाख रही जबकि पिछले वर्ष 1977-78 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 5.21 लाख थी।

छावनियां :-

7.3. राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छावनियां केवल लड़कियों को इसलिये स्वीकृत की जाती है कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और उसके माता-पिता तथा संरक्षक श्रपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़कियों की शिक्षा में बाधक न बन सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों में शिक्षा प्रोत्साहन के लिये महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके माता-पिता की आय निश्चित सीमा 6000/- ₹ से कम हो।

वर्ष 1978-79 में कन्याओं को दी जाने वाली छावनियों का विवरण इस प्रकार है :—

छावनि का नाम	छावनियों की संख्या केवल लड़कियों के लिये	मासिक दर
1	2	3
स्कूल स्तर :-		
मिडल स्कूल छावनि	378	10/- ₹
प्रार्थिमिक स्कूल योग्यता छावनि	411	15/- ₹
महाविद्यालय स्तर		

1	2	3
राज्य पोषण छात्रवृत्तियाँ :-		
उच्च/उच्चतर माध्यमिक	47	22/- ₹0
पैण	83	45/- ₹0
हायर सेकेन्डरी पार्ट-II कुल स्तर	15	45/- ₹0
नौवीं श्रेणी	50	20/- ₹0
दसवीं श्रेणी	50	25/- ₹0
ग्यारहवीं	50	30/- ₹0

कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को मूल वर्कियाँ देता :—

प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को रिपोर्टधीन अवधि में एक लाख हयये की लागत की मूल वर्कियाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गईं।

विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले छात्राओं की संख्या :—

राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार ही :—

शिक्षा का स्तर	छात्राएं
प्राथमिक स्तर	385459
माध्यमिक स्तर	107875
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	33056
महाविद्यालय स्तर	25196
जोड़	551586

अध्याय आठवीं

“शिक्षा सुधार कार्यक्रम”

8.1. शिक्षा मेरे गृहान्त्रिक सुधारों के लिये तथा शिक्षा के स्तर को सम्पूर्णत करने के लिये विभाग द्वारा रिपोर्टरीन प्रबन्धि में कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों तथा विधियों के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समय-समय पर मार्ग दर्शन दिया जाना रहा है। वर्ष 1978-79 में 4100 प्राथमिक अध्यापकों तथा 1200 माध्यमिक अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों को सुचारू रूप से पढ़ाने के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया है।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास के लिए पता-चार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया है। यह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक अध्यापक प्रति मास शाला संगम की बढ़कों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर निचारकिमर्श करने हैं। जिससे उनको बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

8.2. संस्थान के प्रस्तारण सेवा केन्द्र ने गुडगांव के आस पास के प्राईमरी स्कूलों में शिक्षा मेरे सुधार लाने में विशेष गहर्योग विद्या है। इन स्कूलों में उपलब्ध साधनों और प्रवान की गई सहायता के माध्यम से शिक्षा को और अधिक रोचक बनाने के लिए अध्यापकों को मार्गदर्शन दिया गया और समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर के अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता में बढ़िया की गई। ऐसा करने से अध्यापकों में अन्वेषण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है। गुडगांव के आस पास के 133 प्राथमिक अध्यापकों को विभिन्न विषयों को नई शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाने से अवगत कराया गया।

शाला संगम :-

स्थापित किये गये शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खड़ शिक्षा अधिकारी उपमण्डल, शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समग्र समय पर भाग लेते हैं।

विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :-

8. 3. प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के स्तर को समृद्धि करने के लिये 1970-71 में यूनिनिक की स्कीम आरम्भ की गई थी। इस कीम के अन्तर्गत जे 0.6ी 0.10 अध्यापकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों/उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों को विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण दिया गया।

मंशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान मंस्थान द्वारा नये प्रकार की विज्ञान किट्स तैयार की गई। राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण युद्धार के लिए रियोर्डीन अवधि में 2.25 लाख रुपये की राशि किट्स तैयार करने के लिए प्रदान की।

प्राथमिक कक्षाओं से विज्ञान शिक्षण में परिवेश तथा स्थानिय साधनों के प्रयोग पर 11-12-1978 से 20-1-1979 तक एक कर्मशाला का आयोजन किया गया जिसमें 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विज्ञान शिक्षण में परिवेश तथा साधनों के प्रयोग पर एक अध्यापक निर्देशिका भी तैयार की गई।

कार्य अनुभव :-

8. 4. कार्य अनुभव शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। यह विषय राज्य के गभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह विषय अनिवार्य विषय घोषित किया जा चुका है। इस विषय का नाम बदल कर गमाज उपयोगी उत्पादक कार्य रखने हेतु विचार किया जा रहा है। राज्य में नई शिक्षा पक्षति 10+2+3 के अनुभार हर विद्यालय में इस विषय

की शिक्षा के कार्यों को सुचाह रूप से चलाने के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में गुडगांव, तीलोबेडी तथा नारनील में केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

प्लैनिंग फोरम

8.5. राज्य के 3 विष्वविद्यालयों, 14 राजकीय महाविद्यालयों तथा 102 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये प्लैनिंग फोरम के कार्यक्रम को रिपोर्टधीन अवधि में चालू रखने हेतु 0.46 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना :--

8.6. रिपोर्टधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये विशेष पग उठाये गये।

जिन राजकीय विद्यालयों के भवन लोक निर्माण विभाग की पुस्तकों में दर्ज हैं उनमें से 123 राजकीय विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 25.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) हरियाणा द्वारा समस्त राशि का उपयोग कर दिया गया था।

गरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मुरम्मत के लिये 50 खण्ड विकास तथा पंचायत समितियों को दी गई।

प्रधाय नौ

“छात्रों के लिये छावनीतया तथा अन्य वित्तीय सहायता”

9.1. भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रति वर्ष अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता तथा छावनीतया भी दी गई।

भारत सरकार राष्ट्रीय छावनीति योजना :-

9.2. इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य 1093 छात्रों को प्रोत्तमाहित करने के लिये वर्ष 1978-79 में 11.38 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। हरियाणा राज्य के प्रार्थकिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के 65 बच्चों को भारत सरकार भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के आधार पर छावनीतयां भी दी दी गई है। वर्ष 1978-79 में ऐसी छावनीतयों पर 39000/- रुपये की राशि दी गई।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छावनीति योजना :-

9.3. योग्य हरियाणी छात्रों को राज्य की मैट्रिक उपरांत संस्थाओं में पढ़ने के लिये योग्यता छावनीतयां प्रदान की गई। वर्ष 1978-79 में 599 छात्रों को 3.64 लाख रुपये की छावनीतयां प्रदान की गई।

संनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणी छात्रों को छावनीतिः -

9.4. रिपोर्टरीन वर्ष में संनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 613 छात्रों को 15.40 लाख रुपये की छावनीतयां दी गई।

राष्ट्रीय क्रृषि छावनीति योजना :-

9.5. इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार निधन माता पिता के कम से कम 50 प्रांतगत अंक प्राप्त करने वाले योग्य बच्चों को क्रृषि के आधार पर छावनीतियां दी गई है। वर्ष 1978-79 में 2.41 लाख रुपये की राशि इस परियोजना के लिये दी गई। इस योजना के अन्तर्गत 342 छात्रों ने लाभ उठाया।

आं 1978-79 में 1.06 लाख रुपय अर्हण के रूप में तथा 0.17 लाख रुपय स्कूल के रूप में वसूल हुए।

स्कूलों के छात्रों के लिये योग्यता छात्रवृत्ति योजना :—

9.6. राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिये 1014 योग्यता छात्रवृत्तियां 10/- ₹० प्रति मास की दर से और उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिये 668 छात्रवृत्तियां 15/- ₹० प्रति मास की दर से दी जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुधोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :—

9.7. ग्रामीण क्षेत्रों के सुधोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर भाग्य सरकार नवा राज्य की ओर से 6 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खंड में जानी हैं। चुने गये स्कूल के छावावास में रहने वाले छात्रों को 1000/- रुपये प्रतिवर्ष और अन्य स्कूलों में छात्रों की 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र अपनी इच्छा के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और फीस देते हैं, उन्हें 250/- ₹० प्रति वर्ष और जहाँ फीसें नहीं ली जाती, वहाँ 150/- ₹० प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 2.73 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां :—

9.8. नौवीं, दसवीं तथा न्यारहवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 10/- ₹० प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां भारत सरकार द्वारा दी जानी हैं। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 8000/- ₹० की राशि की व्यवस्था की गई थी।

तेलगू पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां :—

9.10. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। वर्ष 1978-79 में 10/- ₹० प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी गई और इस कार्य के लिये 37086/- ₹० की राशि व्यय की गई।

राज्य हरिजन कल्याण योजना :-

9.11. स्कूल स्तर पर ग्रनथान्ति जातियों तथा पिलड़े वर्गों नौवी दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 8/- ₹० प्रति मास की दर से छावनीतियां दी गई। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिशूति भी की जाती है।

9.12. महाविद्यालय स्तर पर पिलड़े वर्गों के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों में 15/- ₹०, 20/- ₹० तथा 25/- ₹० पार्श्विक दर में छावनीतियां दी जाती हैं। निःशुल्क शिक्षा के अन्तर्गत इन छात्रों की परीक्षा शुल्क की प्रतिशूति भी की गई। वर्ष 1978-79 में इस पार्स्योजना के लिये 40.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 3230 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ।

स्कूल स्तर पर छावनीतियों की स्वीकृतियां देने के लिये उप मंडल शिक्षा अधिकारी सक्षम हैं। राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छावनीतियां उन्हीं महाविद्यालयों के प्राचार्य स्वीकृत कर राकर्ते हैं, जिससे छात्रों को भय पर छावनीतियां मिल जाती हैं परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छावनीतियां स्वीकृति सहायक निदेशक छावनीति द्वारा दी जाती है। छात्रों को छावनीति तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय सहायता उनके माता-पिता/मंरक्षकों की वापिक आय के आधार पर दी जाती है। वापिक आय की अधिकतम सीमा 4200/- निर्धारित है।

हरिजन राज्य में हरिजन छात्राओं के लिये योग्यता छावनीति योजना

9.13. नौवी, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिये 150 छावनीतियों की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 50 नई छावनीतियां प्रयोक्त कक्षा में अर्थात् नौवी, दसवीं तथा ग्याहरवीं में क्रमशः 20/- ₹०, 25/- ₹० तथा 30/- ₹० प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इसके लिये 45000/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

विमुक्त जाति छावनीति योजना

9.14. विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर छाव-

शून्यां देने के लिये शुल्क से विपक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 43,300 रुपये की व्यवस्था की गई थी।

अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत सरकार द्वारा मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति

9.15. अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृत्तियां शिक्षा शुल्क तथा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली शुल्क की राशि भी दी जाती है। इन छात्राओं को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूति भी की जाती है। ऐसी छात्र-वृत्तियों की दरें कक्षा/कोर्स अनुसार भिन्न-भिन्न हैं जो कि 40/- रुपये प्रति मास से 195/- रुपये प्रति मास तक है। ये छात्रवृत्तियां माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आग के आधार पर दी जाती हैं। 500/-रुपये तक मासिक आय वाले माता-पिता संरक्षकों के बच्चों को पूर्ण छात्रवृत्ति तथा अन्य पूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं। परन्तु 501/- रुपये से 750 रुपये तक की आग वाले माता-पिता/संरक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्ति आधी दर पर तथा अन्य सुविधाएं पूर्ण रूप से दी जाती हैं। वर्ष 1978-79 में इन छात्रवृत्तियों के लिये लगभग 36.49 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। इस छात्रवृत्ति स्कीम से लगभग 4600 छात्रों को लाभ हुआ।

कम आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

9.16. इस स्कीम के अन्तर्गत जिन छात्रों के माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय 1800/-रुपये या इससे कम हो, उनको मैट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की दर 27/- रुपये से 65/- रुपये प्रति मास है और छात्रवृत्ति के लिये अतिरिक्त शिक्षा शुल्क/अनिवार्य निधियां तथा परीक्षा शुल्क की राशि भी दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजनार्थ 1.25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इससे लगभग 183 छात्रों को वर्ष 1978-79 में जाग प्राप्त हुआ।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति :

9.17. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति देती है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक छात्रवृत्ति दी गई जिस पर 768/- रुपये लग्य हुआ।

अध्याय दसवां

“विविध”

खेल कूद

10. 1. खेल कूद के विषय को राज्य की शिक्षा संस्थाओं की प्रशिक्षण पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। पापुः खेलों पर व्याय शिक्षा संस्थाओं की मिथित निधि रोपि किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1978-79 में खेलों के विकास के लिये 22000/- रुपये की राशि अनुदान के साथ में दी। जनवरी, 1979 में नागपुर में हुई शीतकालीन अम्तग्रामजीव प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र / छात्राओं द्वारा निम्नलिखित स्थान प्राप्त किये गये :—

कुष्टी	1 स्वर्ण पदक
कुष्टी	1 रजत पदक
कुष्टी	2 कांस्य पदक
पोल वाल्ट	1 स्वर्ण पदक
पोल वाल्ट	1 रजत पदक
जैवेलन थ्रो	1 स्वर्ण पदक

विश्वालयों के व्यायाम प्रशिक्षकों तथा खेलों में विशेष रूचि रखने वाले अध्यापकों व छात्रों को खेलकूद में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 1978-79 में खेल विभाग के सहयोग से 50 पीटी आईज को कुम्होब में योग अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया और वे प्रशिक्षित पी.टी.आईज. बच्चों को स्कूल में योग अभ्यास करवायेंगे।

एन० एस० एस० :-

10. 2 विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिगत और उनके बौद्धिक विकास के लिये भारत सरकार की महायता में हरियाणा राज्य में एन.एस.एम. प्रोग्राम चालू है। वर्ष 1977-78 में इस प्रोग्राम के अधीन स्वयं सेवकों की संख्या 12000 थी और कानिंजों में स्वीकृत एन.एस.युनिटों की की संख्या 113 थी। वर्ष 1978-79 में इस प्रोग्राम के लिये विभाग के बजट में 14,40,000/- रुपये की व्यवस्था थी इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमशः 7:5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एन.एस.एम. के स्वयं सेवक विशेष सहयोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु “यूथ फार हरल रिकस्टेक्शन” अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1977-78 में 123 शिविर लगाये गये। (18 ग्रीष्मकालीन 74 पतझड़ अवकाश काल में तथा 31 शरद अवकाश काल में) इन शिवरां में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों (Slum Areas) में लगाए गए। लगभग 600 छात्रों ने इस शिविरों में भाग लिया। इन शिवरों में मुख्यता निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया।

1. Slum Clearance
2. Eradication of illiteracy.
3. Socio-medical work.
4. Improvement of Sanitation.
5. Plantation of Trees.
6. Popularisation & construction of Gobar Gas Plants.
7. Eradication of dowry and other social evils.
8. Adult Education.

एन० सी० सी० :-

10. 3. भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार

एन सी सी. स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल, तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन सी सी. के कैडिट्स को दिया जाता है। गहाविद्यालयों के छात्रों के लिये सीनियर डीवीजन तथा विद्यालयों के छात्रों के लिये जूनियर डीवीजन स्थापित किये दुएँ हैं।

इस परियोजना को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर नियमानुसार करती है। वर्ष 1978-79 में एन सी सी. स्कीम को चलाने हेतु 52,20,260/- रुपये की बजट व्यवस्था की गई। रिपोर्टधीन अवधि में सीनियर/जूनियर डीवीजन की बटालियन की संख्या और कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडिट्स की संख्या निम्नलिखित रही —

सीनियर डीवीजन	बटालियन की संख्या	कैडिट्स की संख्या
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	12	9600
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	2	1600
वायु सकर्वैडन	2	400
जल बटालियन	1	200
ग्रुप हैडक्वार्टरज	2	—
जूनियर डीवीजन	बटालियन की संख्या	कैडिट्स की संख्या
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	138	13,250
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	10	1,000
वायु विंग	14	1,350
जल विंग	5	450

रैडक्रास :-

10. 4. रैडक्रास संस्था गमाज में गोगियो, अगंहीनों, धायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का छात्रों को प्रिय बनाने के लिये राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थाएं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई हैं। शिक्षा संस्थाओं के रैडक्रास फाउंड में से आवश्यकतायरन बच्चों का पुस्तक, वर्दियां, चिकित्सा के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके आनंदित विद्यालयों में एकांकित रैडक्रास फाउंड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग साकेत में अगंहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष विद्या जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1978-79 में बाढ़ पीड़ितों के लिये 24 लाख रुपये की राशि की सहायता दी गई। सहायता की मब्दों में दवाईयों, भोजन, कम्बल, आदि शामिल थे। इसी अवधि में लगाये गये रक्तदान शिविरों में 10.598 लक्ष्यक्रियाओं ने रक्तदान किया। जिला रैडक्रास ब्रांच रोहतक के प्रस्ताव तथा पोंटिंग की प्रतियोगिना मनाई। इसमें 16 विद्यार्थियों ने प्रस्ताव तथा 65 विद्यार्थियों ने पोंटिंग भेजी।

संस्था द्वारा आर्थिक कमजोर स्त्रियों एवं बच्चों के लिये 21 क्राफ्ट केन्द्र खाले गये। यह केन्द्र रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी और अम्बाल। जिले में स्थापित हैं। इनमें सिलाई, कठाई निवार, वरियां आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों में आईंटर पर कार्य भी किया जाता है। रिपोर्टधीन अवधि में संस्था ने शुद्ध प्रैथ जल सविधा उपलब्ध करने हेतु तथा गरीब बच्चों की पढ़ाई तथा पुस्तकों और वर्दियों आदि पर 3.29.8। 2/- रुपये खर्च किया।

भारत स्काऊटस एवं गाईडग

10. 5. राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काऊटस एवं गाईडज आनंदोलन छात्रों में ध्रातृप्रथम, नेतृत्व की भावना तथा जन जाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश से चलाया जा रहा है। यह आनंदोलन हरियाणा भारत स्काऊटस एड गाईडज एमोशनेशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1978-79 में राज्य सरकार द्वारा संस्था को 75000/- रुपये नान प्लान पक्ष से तथा 47750/- रुपये प्लान पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गये।

वर्ष 1978-79 में हरियाणा भारत स्काउटस एण्ड गाईडज प्रोसेशनल द्वारा राज्य स्तर पर 15 शिविर स्काउटस के लगाये गये जिनमें 832 स्काउटस ने भाग लिया और एक स्काउटस रैली में 392 स्काउटस ने भाग लिया। 3 समाज सेवा कैम्प लगाये गये जिनमें 408 स्काउटस ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों के 4 कैम्प लगाये गये जिसमें 436 ने भाग लिया।

राज्य स्तर पर 7 गल्जे गाईडज कैम्प लगाये गये जिसमें 282 गाईडज ने भाग लिया। एक समाज सेवा कैम्प लगाया गया जिसमें 300 गाईडज ने भाग लिया। राष्ट्रीय गतिविधियों के 7 कैम्पों में 318 गाईडज ने गाईड स्तर की योग्यता प्राप्त की।

स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

10.6. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 80 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राई मरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दिया जाता है। वर्ष 1978-79 में अन्त में 4.22 लाख बच्चों की मध्यान्ह भोजन का लाभ प्राप्त हुआ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर लगभग 26.39 लाख रुपये की राशि घर्ज की जिसमें से 7.16 लाख की राशि केयर संगठन के प्रशासनिक व्यय के रूप में तथा शेष राशि अन्य खर्चों तथा परिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई।

घर्गांडा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा 4000 बच्चों के लिये प्रान्तिक पंजीरी नैयार कर के स्कूलों में बाटने के लिये भेजी गई। इस किचन के खर्च के लिये द्वारा 8.35 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

पुस्तकालयों का विकास

10.7. वर्ष 1978-79 में जिना 'पुस्तकालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। इनकी संख्या एवं वर्ष की तरह 7 ही रही।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

10.8. वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान निधि में लगभग 3.83 लाख रुपये की राशि एकवित की गई तथा विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फण्ड से से 3.83 लाख रुपये सहायता के रूप में वितरित किये गये। सहायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का ब्यौरा इस प्रकार है -

(1) 15 सेवा निवृत्त/मृतक अध्यापकों की लड़कियों को उनकी शादी पर 1500/- रुपये प्रति लड़की के हिसाब से 22500/- रुपये की सहायता दी गई।

(2) 3 अध्यापकों ने उनकी लम्बी बीमारी पर 500/- रुपये अध्यापक के हिसाब से 1500/- रुपये की सहायता दी गई।

(3) 73 मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 1000/- रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिकाओं के दाहसंस्कार तथा क्रियाकर्म के लिये तरंग आधार पर तत्काल 73000/- रुपये सहायता के रूप में दिये गये।

(4) 61 मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रित को 75 रुपये से 100 रुपये प्रति मास के हिसाब से एक साल के लिये 900 रुपये से 1200 की प्रति अध्यापक के परिवार को सहायता के रूप में दी गई है। जो 96050/- रुपये बनती है।

(5) मृतक अध्यापकों को विधवाओं को मिलाई मशीनें भी दी गई।

(6) 23 अध्यापकों के बच्चों को 23 छात्रवृत्तियाँ मैट्रिक पाठ्यालय शिक्षा प्राप्त करने हेतु दी गई है। जो 18480/- रुपये की बनती है।

परिशिष्ट “क”

31-3-79 को निवेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी :-

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1.	निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्री ओ० पी० भारद्वाज आई०ए०ए०
2.	निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री अनिल राजवान, आई० ए०ए०
3.	संयुक्त निदेशक (महाविद्यालय)	प्रथम	श्री हरकिशन सिंह
4.	संयुक्त निदेशक(विद्यालय)	प्रथम	श्री के० पी० अबरोल
5.	उप निदेशक	प्रथम	श्रीमति राजदुलारी
6.	उप निदेशक	प्रथम	श्री बी० ए० गोस्वामी
7.	उप निदेशक	प्रथम	श्री पी० पी० गोस्साई
8.	उप निदेशक	प्रथम	श्री आर० ए० दत्त
9.	उप निदेशक	प्रथम	कुमारी स्वर्ण आतिश
10.	राज्य सर्वेक्षण अधिकारी	प्रथम (अस्थाई)	श्रीमति पृष्ठा अबरोल
11.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री ए० ए० कौशल
12.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री वासुदेव लालड़ा
13.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्रीमति कमला छिकारा

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
14.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री नरेन्द्र कुमार
15.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री बी० ग्रार० बजाज
16.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री एस० एस० चौधरी
17.	प्रशासन अधिकारी	द्वितीय	श्री शेर सिंह
18.	लेखा अधिकारी	द्वितीय	श्री एस० एल० गुप्ता
19.	रजिस्ट्रार शिक्षा	द्वितीय	श्री धर्मपाल गृष्णा
20.	बजट अधिकारी	द्वितीय	श्री ज्ञान प्रकाश जैन
21.	अनोपचारिक शिक्षा अध्यक्ष	प्रथम	रिक्त

परिशिष्ट "ख"

31-3-79 को जिला स्तर पर अधिकारी

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप मंडल शिक्षा अधिकारी का नाम
1.	अमृताला	श्री एम ०५०१० जैन	कुमारी के० सुलहन, अमृताला कुमारी विद्या भोला, जगावरी कुमारी कुल्णा आरेडा, नारायणगढ़
2.	भिवानी	कुमारी शांता राजदास	श्री गगत मिह, भिवानी श्री अमीर सिंह, चरखी दावरी श्री आर० डी० शर्मा, लोहाव
3.	गुडगांव	श्री धर्म मिह डिल्लों	श्री गनपत मिह, गुडगांव श्री बलराज शर्मा, पलवल श्री जे० सी० तनेजा, नूह श्री इन्द्र सैन घई, बल्लभगढ़ श्री हरवंस सिह, फिरोजपुर झिरका
4.	हिसार	श्री चन्द्रभान	श्री जे० पी० शर्मा, हिसार श्री ओ० पी० बता, हासी श्री कदम सिह, फतेहबाद
5.	जीवि	श्री पैम प्रकाश	श्री धन मिह, जीवि श्री रघुनाथ सहाय, नरवाना
6.	करनाल	श्री जे० के० सूद	श्री बी० आर० गोयल, करनाल श्री बी० पी० गोतम, पानीपत

क्रमांक	ज़िला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप-मंडल शिक्षा अधिकारी का नाम
7.	कुरुक्षेत्र	श्री देव राज सिंह गिल	श्रीमति उमा चौपड़ा, थानेसर श्री जे० एस० शर्मा, कैथल
8.	महेन्द्रगढ़	कुमारी कृष्ण चौपड़ा	श्री एस० एस० राधव, नारनील श्री आर० पी० गिरधर, रिवाड़ी श्री ओ० पी० सेठ, महेन्द्रगढ़
9.	रोहतक	डा० बाबू राम गुप्ता	श्री हृदयराम मलिक, रोहतक श्री नाल चन्द, क्षज्जर श्री सूरज लाल, बहादरगढ़
10.	सिरसा	श्री सोहन लाल	श्री एन० आर० मितल, सिरसा श्री आर० एन० बैद्य, डबवाली
11.	सोनीपत	श्री वी० एस० पासी	श्री ए० डी० तालिब, सोनीपत श्री जगबीर सिंह, गोहना

परिशिष्ट "ग"

31-3-79 को श्रेणी I और श्रेणी II के कुल पद कालिज और स्कूलों के अनुग्रहलग

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6
1.	प्राचार्य रा० महाविद्यालय	प्रथम	15	13	2
2.	प्रो० रा० महाविद्यालय	प्रथम	9	1	1 (7 रिक्त)
3.	निदेशक रा० शिक्षा संस्थान गुडगांव	प्रथम	1	1	—
4.	निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान गुडगांव प्रथम	प्रथम	1	1	—
5.	प्राचार्य रा० उ० महाविद्यालय	द्वितीय	77	55	22
6.	प्राचार्य जे० बी० टी० स्कूल	द्वितीय	4	2	2
7.	परिशिष्ट विशेषज्ञ	द्वितीय	3	2	1
8.	विज्ञान परामर्शी	द्वितीय	1	1	0
9.	मूलांकन शाधिकारी	द्वितीय	2	1	1
10.	परामर्श दाता	द्वितीय	1	1	—
11.	मनोविज्ञानिक वरिष्ठ प्रा०	द्वितीय	216	166	50

1	2	3	4	5	6
1.2.	उप मण्डल शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	41	28	13
1.3.	जिला शिक्षा अधिकारी	प्रथम	11	8	3
1.4.	तकनीकी प्राध्यापक	द्वितीय	7	7	--
1.5.	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	द्वितीय	1	1	--

10132--D P.I.—H.G.P., Chd.

Sub. : **Primary Education Unit :**
No. 1 Primary Sector Educational
Planning & Implementation
17-B, Sector 17, Chandigarh-160016
DOC. No. 10132-D P.I.—H.G.P., Chd.
Date.....